



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं. एसएम/4/2014/एमएचआरडी1/एसईपीआरओएम/आर.यू.-III

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 09-09-2015

नोटिस

विषय: वर्ष 2006-07 से द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दिये जाने के संबंध में श्रीमती सावित्री मीना पत्नी श्री महावीर प्रसाद मीणा तृतीया श्रेणी अध्यापिका, ब्लॉक नं. 29/169, हैवीवाटर कॉलोनी, रावतभाटा, पो.- भाभानगर, कोटा (राजस्थान) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती सावित्री मीना से दिनांक 09.10.2014 की याचिका/शिकायत प्राप्त हुई है। आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.07.2015 के संदर्भ में आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर ने दिनांक 28.09.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे इस प्रकरण पर चर्चा/सुनवाई हेतु आपके साथ बैठक निश्चित की है।

आपसे अनुरोध है कि प्रकरण से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को वैयक्तिक तौर पर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें। इस संबंध में अभ्यावेदिका श्रीमती सावित्री मीना को भी सलाह दे कि वे भी उक्त दिन उक्त बैठक में उपस्थित हों।

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रमुख सचिव,
शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय,
जयपुर (राजस्थान)

प्रति सूचनार्थ :- श्रीमती सावित्री मीना पत्नी श्री महावीर प्रसाद मीणा तृतीया श्रेणी अध्यापिका, ब्लॉक नं. 29/169, हैवीवाटर कॉलोनी, रावतभाटा, पो.- भाभानगर, कोटा (राजस्थान)-323307

Copy to: SSA, N.I.C.